

राज्य रक्ताधान परिषद  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्यप्रदेश

दूरभाष क्र. 2527115, ई-मेल [mpsbtc@gmail.com](mailto:mpsbtc@gmail.com)

क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2022/3689  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/05/2022

1. अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,  
चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,  
जिला-भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा, (म.प्र.)
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
मध्यप्रदेश
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश
4. अधीक्षक,  
सिविल अस्पताल- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इटारसी (होशंगाबाद),  
रानी दुर्गावती, जबलपुर एवं इन्दिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय, भोपाल, (म.प्र.)

विषय :- होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट्स प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में दिशा-निर्देश।

- संदर्भ :- 1. संचालक (एन.बी.टी.सी.), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र नं. एस-12016/01/2012-नॉको (एन.बी.टी.सी.) दिनांक 25.06.2018
2. इस कार्यालय पत्र क्रमांक/एस.बी.टी.सी./एफ-30/2020/2834 दिनांक 02.01.2020

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित राज्य रक्ताधान परिषद (एस.बी.टी.सी.) के पत्र द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट्स प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :-

- 1// समस्त शासकीय अस्पतालों में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने वाले समस्त मरीजों को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर उन्हें समस्त शासकीय ब्लड सेंटरों से निःशुल्क रक्त एवं कम्पोनेन्ट्स दिया जाना/उपलब्ध कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।
- 2// समस्त गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों एवं हिमोग्लोबिनोपेथी (Thalassemia patients, Hemophilia patients, Sickle Cell anemia patients & Any other blood dyscrasia requiring repeated blood transfusions) से प्रभावित सभी मरीजों, ट्रांमा व एक्सीडेंट के मामले में रक्ताधान की आवश्यकता होने पर निःशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त एवं कम्पोनेन्ट्स दिया जाना/उपलब्ध कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।
- 3// समस्त निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स में भर्ती होकर एवं उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों को होल रक्त एवं कम्पोनेन्ट्स की आवश्यकता होने पर समस्त शासकीय अस्पतालों से हिमोग्लोबिनोपेथी (Thalassemia patients, Hemophilia patients, Sickle Cell anemia patients & Any other blood dyscrasia requiring repeated blood transfusions) से प्रभावित सभी मरीजों को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर निःशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त एवं कम्पोनेन्ट्स दिया जाना/उपलब्ध कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4// समस्त जिलों में शासकीय अस्पताल के प्रायवेट वार्ड/निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स में भर्ती होकर एवं उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों को होल रक्त एवं कम्पोनेंटस की आवश्यकता होने पर शासकीय अस्पतालों से संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग चार्ज निम्नानुसार दर्शाई दरों के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है, उक्त दरे अधिकतम सीमा को दर्शाती है :-

(अ) होल रक्त (Whole Blood)	-	रु. 1050/- प्रति यूनिट
(ब) पैक्ड रेड सेल्स (Packed Red Cells)	-	रु. 1050/- प्रति यूनिट
(स) फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा (Fresh Frozen Plasma)	-	रु. 300/- प्रति यूनिट
(द) प्लेटलेट कंसन्ट्रेट (Platelet Concentrate)	-	रु. 300/- प्रति यूनिट
(इ) क्रायोप्रेसिपिटेट (Cryoprecipitate)	-	रु. 200/- प्रति यूनिट

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ ब्लड सेंटर में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(डॉ. सुदाम खाड़े)  
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10/05/2022

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2022/3690

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली।
3. संचालक (एन.बी.टी.सी.), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
7. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
8. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (एस.बी.टी.सी.)/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, सब जोन इंदौर, सीडीएससीओ भवन, जीपीओ स्कुयर, रेसिडेंस एरिया, ए.बी. रोड, इंदौर।
11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. समस्त ब्लड सेंटर (ब्लड बैंक) अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश